न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल I.A.S.

प्रकरण संख्या – 37/2018 (अपील)

रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल आयु 85 वर्ष, जाति कोली निवासी– राष्ट्रदूत कार्यालय के पीछे, पलाईथा हाउस, मोखापाडा, कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

1. पदमा महावर पत्नि स्व0 कृष्ण कुमार, जाति कोली
2. हेमराज कोली पुत्र नामालूम, जाति कोली,
3. ओमप्रकाश महावर पुत्र हेमराज कोली
4. पायल महावर पुत्री हेमराज जाति कोली,
5. मुकेश महावर पुत्र हेमराज जाति कोली
6. मनोज सुमन पुत्र नामालूम जाति माली
7. विजय सुमन पुत्र मनोज सुमन जाति माली
8. समस्त किरायेदारान पलाईथा हाउस, मोखापाडा, कोटा निवासीगण राष्ट्रदूत कार्यालय के पीछे, पलाईथा हाउस, मोखापाडा कोटा (राज0)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.02.2018 अर्न्तगत धारा 16 माता पिता और वृद्व नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय

दिनांकः– 20 /06/2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, द्वारा दिनांक 28.02.2017 को आदेश पारित किया कि–"प्रकरण प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात सम्पत्ति विवाद होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि सम्पत्ति विवाद हेतु पारिवारिक न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें ।"
2. उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील दिनांक 19.04.2018 को पेश की गई है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि– अपीलान्ट 85 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है, जो अपने खरीदशुदा मकान मोखापाडा स्थित दौ मंजिला मकान जिसमें 18 कमरे है, जिसमें रेस्पोडेन्ट कम–1 भी निवास करती चली आ रही है । जिसका किराया लगभग 40,000/– प्रतिमाह रेस्पोडेन्ट कम–1 प्राप्त करती चली आ रही है । अपीलान्ट के दौ पुत्र एवं चार पुत्रियां है । दौनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है तथा पुत्रियां विवाहित है । अप्रार्थी कम–1 मकान एवं सम्पत्ति हड़पने की नियत से एवं छल–कपट एवं षडयंत्र रचकर

Scanned by CamScanner

परिवादी की मकान एवं सम्पत्ति का बेचान करने के लिये अपीलान्ट के साथ आये दिन गाली–गलौच, लडाई झगडा व मारपीट करती चली आ रही है तथा पिछले 2 वर्षो से अपीलान्ट को घर से निकाल रखा है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस थाना कैथूनीपोल की रिपोर्ट पर विश्वास करके बड़ी भारी भूल की है, क्योंकि पुलिस थाना कैथूनीपाल की रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट्स से मिलीभगत कर पेश की गई है । जो पूर्णत अविश्वसनीय है । रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में कई बार अपीलान्ट व उसके पौत्र कुलदीप के विरूद्व मात्र उक्त मकान में अपीलान्ट के प्रवेश को रोकने के लिये पुलिस थाना कैथूनीपोल से मिलीभगत कर कई झूंठे आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा रखे है । जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली का सरसरी तौर पर अवलोकन कर उक्त आदेश पारित करने की भूल की है, इसलिये उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.2.2018 को निरस्त/अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट के उक्त खरीदशुदा व अपने स्वामित्व के मकान में अपीलान्ट के निवास, स्वास्थ्य, भरण पोषण कल्याण, मनोरंजन एवं उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था कर रेस्पोडेन्ट्स को बेदखल कर अपीलान्ट का उक्त मकान रेस्पोडेन्ट्स से खाली करवाकर अपीलान्ट के सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करें ।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी रविन्द्र अप्रार्थीया का ससुर है, अप्रार्थीया के पति की मृत्यु हो चुकी है । अप्रार्थीया के दौ छोटे–छोटे बच्चे है । जिनका पालन पोषण के लिए अप्रार्थीया प्रार्थी रविन्द्र से भरण पोषण की मांग करती रहती है परंतु वह भरण पोषण की राशि देने से इंकार करता है तथा शराब पीकर उसके साथ गाली गलोच करता है उसके साथ मारपीट करता है तथा उसकी बेईज्जती करता है । तथा उसे मकान से जबरन निकालना चाहता है । जबकि अप्रार्थीया अपने पति के जीवनकाल से ही उक्त मकान में निवास करती चली आ रही है तथा अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, परन्तु रविन्द्र उसे मकान से बेदखल करना चाहता है तथा मकान का बेचान करना चाहता है । प्रार्थी केन्द्र सरकार के अधीन रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी है जिसे वर्तमान में पेशन की राशि प्राप्त हो रही है । इसके अलावा प्रार्थी के पास ग्राम मेरमा तहसील अटरू जिला बारां में आलीशान मकान तथा खेती बाडी की आराजी है । जहां से उसे लाखों रूपयों की इनकम प्राप्त होती है । इसलिए अप्रार्थी का यह कहना कि वह प्राईवेट रोजगार करके गुजर बसर कर रहा है कथन झूठे,गलत है । मनगढंत है । यह प्रकरण प्रार्थी के द्वारा मात्र अप्रार्थीया को मकान से बेदखल करने के उद्देश्य से झूठा दर्ज कराया गया है । प्रार्थी का पोत्र कुलदीप उर्फ गोलू जबरन अप्रार्थीया को मकान से बेदखल करने के लिए आए दिन शराब पीकर गाली गलोच करता है तथा उसके साथ छेडछाड करता है । गलत व्यवहार करता है तथा उसके साथ मारपीट करता है एवं उसकी स्त्री लज्जा भंग करता है जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीया के द्वारा धारा 354 आईपीसी के प्रकरण कुलदीप उर्फ गोलू के विरूद्व दर्ज करा रखे है । कुलदीप उर्फ गोलू का एकमात्र उद्देश्य अप्रार्थीया से उक्त मकान खाली कराना है । यदि अप्रार्थीया को उक्त मकान से बेदखल कर दिया गया तो उसके छोटे–छोटे बच्चों के जीवन यापन की समस्या पैदा हो जावेगी । अप्रार्थीया व प्रार्थी के बीच जबरदस्ती मकान खाली कराने के सम्बन्ध में सिविल विवाद विचाराधीन है जो माननीय सिविल न्यायाधीश दक्षिण कोटा में जैरकार है, जिसका वाद संख्या 524/2016 उनवान पदमा बनाम रविन्द्र कुमार के नाम से जैरकार है । उक्त अपील सिविल वाद विचाराधीन होने के बाद भी प्रार्थी रविन्द्र ने श्रीमान के समक्ष यह अपील पेश की है । चूंकि जब सीनियर सिटीजन एक्ट के अनुसार कोई सिविल वाद विचाराधीन हो तो वह संपूर्ण अधिकार सिविल वाद में तय होने है । इसलिए सीनियर सिटीजन एक्ट के अनुसार किसी का कोई अधिकार प्रार्थी रविन्द्र को प्राप्त नहीं है, जब तक सिविल वाद का निस्तारण नहीं हो जाता प्रार्थी रविन्द्र किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रस्तुत करने के लिए एस्टोप्ड है तथा उसे किसी प्रकार की कोई सहायता सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्राप्त नहीं हो सकती है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को भारी हर्जे–खर्चे

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

के साथ खारिज फरमाया जावें तथा अप्रार्थीया को वादग्रस्त मकान से जबरन बेदखल नहीं किए जाने के सम्बन्ध में आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं भरण पोषण सम्बन्धी व्यवस्था करने का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, मात्र अप्रार्थीया एवं अन्य रेस्पोडेन्ट जो किरायेदार है, को खरीदशुदा अपने स्वामित्व के मकान से बेदखल कर रेस्पोडेन्ट से मकान खाली कराने का निवेदन किया है । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध थानाधिकारी की रिपोर्ट क्रमांक/2356 दिनांक 22.06.2017 से यह पुष्टि होती है की अपीलांट एक रेल्वे से रिटायर्डसुदा कर्मचारी है, जो पेंशनभोगी है, ऐसे में अपीलांट को भरण पोषण के लिए राशि की आवश्यकता नहीं हो सकती है । साथ ही अप्रार्थिया रेस्पोडेन्ट–1 पदमा भी विधवा पुत्रवधु है, जिसे भी आसरे एवं रहने की आवश्यकता होगी तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 पदमा के मध्य एक सिविल वाद सं0 524/2016 सिविल न्यायालय क0 ख0 कोटा में उनवान पदमा बनाम रविन्द्र कुमार विचाराधीन होने सम्बन्धी ऑर्डरशीट पेश की है जो दिनांक 21.12.2016 तक की ही है, वर्तमान में उक्त प्रकरण विचाराधीन है अथवा नहीं इसका कोई प्रमाण पेश नहीं किया है ।

7. अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि अपीलांट द्वारा यह अपील अपने भरण पोषण के लिए प्रस्तुत नहीं कर मात्र रेस्पोडेन्ट को मकान से बेदखल कराने के उद्देश्य से की है, तथा मामला पृथम दृष्ट्या सम्पत्ति विवाद का प्रतीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, इस हेतु अपील सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner